न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 43/2011 **दायर दिनांकः 13/06/2011**

उनवान

1. गुलाब खां आयु 80 वर्ष पुत्र नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. रामकुंवार उर्फ रामबाबू शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बृाह्मण निवासी खेडलीगंज हाल मुकाम म0नं0 904 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां में पुराना ख0नं0 434 का रकबा 2 बीघा आराजीयात स्थित थी जिसका वाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 878 का रकबा 0.32 है0 बनाया है वाद पत्र के साथ में नकल पुरानी जमाबन्दी, नवीन जमाबन्दी व कब्जे बाबत् राजस्व रिकार्ड की नकले पेश है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0

434 का रकबा 2 बीघा नवीन ख0नं0 878 का रकबा 0.32 है0 का खातेदार श्यामकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बृाह्मण निवासी खेडलीगंज था जिसका लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। जिसके एक मात्र वारिस उसका सगा भाई प्रति0 कम 1 रामकुंवार है। उक्त आराजी न तो कभी श्याम कुमार के कब्जे काश्त में रही और न ही प्रति0 कम 1 रामकुंवार के कब्जे काश्त में रही। वादी का वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 434 का रकबा 2 बीघा नवीन ख0नं0 878 का रकबा 0.32 है0 वाके माल रीछन्दा तहसील अटरू को पिछले 50–60 वर्षो से शान्तिपूर्वक बैरोकटोक लगातार खुले तौर पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के कब्जे काश्त को पिछले 60 वर्षो में न तो पूर्व खातेदार श्यामकुमार ने चुनोती दी है और न ही प्रतिवादी कम 1 रामकुंवार ने चुनोती दी है। काश्त को लेकर खेत पर व गांव में वादी व प्रतिवादी के बीच में किसी प्रकार की कहासुनी नही हुई है। वादी ही उक्त आराजी में हर वर्ष फसल बोता व काटता चला आ रहा है। वादी का उक्त आराजी पर 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार शान्ति पूर्वक खुलेतौर पर बैरोकटोक कब्जा काश्त होने की बजह से वादी का आराजी ख0नं0 878 का रकबा 0.32 है0 पर कब्जा मुखालफाना होने की वजह से (By Operation of low) वादी को उक्त मद में वर्णित आराजी पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। लेकिन आराजी प्रतिवादी कम 1 के भाई श्यामकुवार के खाते की होने की वजह से व उसके एक मात्र वारिस प्रतिवादी कम 1 होने की वजह से प्रतिवादी कम 1 उक्त मद नं0 में वर्णित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बैचान करने पर आमादा है उक्त आशय की धमकी प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण को 15.01.2011 को दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। यदि प्रतिवादी कम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी को रहन बैचान खुर्द बुर्द कर दिया तो वादी अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी वंचित हो जावेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है। कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी पारित की जावें कि वादी को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी

ख0नं0 434 का रकबा 2 बीघा नवीन ख0नं0 878 का रकबा 0.32 है0 वाके माल रीछन्दा तहसील अटरू पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें राजस्व अभिलेखों पर वादी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दज्र किया जावें। दौराने वाद अगर प्रतिवादी क्रम 1 को पाबन्द किया जावें कि वह वादी को उक्त मद में वर्णित आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया है। वादी द्वारा राज0 सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 आराजी को खुर्द बुर्द रहन बैचान करने पर आमादा है उक्त आशय की धमकी प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी को पुनः 09.02.2011 को दी इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का हो चुका है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को रहन बैचान खुर्द बुर्द कर देगा। इस वजह से वाद धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय मे पेश है धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.01.2011 को प्रतिवादी द्वारा वादी को आराजी रहन बैचान खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार पुनः 09.02.2011 को प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को बेचान, खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावेंः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू की ख0नं0 878 का रकबा 0.32 है0 आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) दौराने वाद यदि प्रतिवादी क्रम 1 वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर लेवें तो उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावें तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1 को पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि चरण संख्या 1 में अंकित तथ्य ग्राम रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां में पुराना ख0नं0 434 का रकबा 2 बीघा रिकार्ड की सीमा से अधिक स्वीकार नही है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है। यह सम्पत्ति राजगामी सम्पत्ति घोषित होना चाहिये। चरण सं0 3 अस्वीकार है। प्राईवेट लैंड पर 30 वर्ष में एडवर्स पजेशन हेाता है। चरण संख्या 4 अस्वीकार है। चरण संख्या 5 अस्वीकार है। चरण संख्या 6 अस्वीकार है। चरण संख्या 7 अस्वीकार चरण का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से है। चरण संख्या 8 अस्वीकार है। चरण का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से है। अन्य तथ्य बवक्त मौखिक निवेदन किये जावेगे।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_2 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकॉर्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई अभिभाषक वादी द्वारा वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराया बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम रीछन्दा की पुराना ख0नं0 434 का रकबा 2 बीधा आराजी जिसका बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 878 रकबा 0.32 है0 बनाा गया। जो खातेदार श्यामकुंमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बृाह्मण निवासी खेडलीगंज के खाते दर्ज है। जो लाओलाद फोत हुआ है। उक्त भूमि कभी भी प्रतिवादी क्रम 1 व खातेदार श्यामकुमार के कब्जे में नही रही साक्ष्य PW_1 से PW_2 के अनुसार वादी का उक्त विवादित

भूमि पर 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त है। वादी गुलाब खां का कब्जा होना बताया गया प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद में कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किये गये जिससे वादी का लगातार 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा साबित पाया जाता है। RRD 14-11-17 पेज नं0 693 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा हेतु वाद–वाद डिक्री किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील खारिज की–मण्डल ने निणर्य व डिक्री अपास्त किये–विवादित भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी और अन्य भूमि सरपंच के नाम थी–मण्डल ने निष्कर्ष अभिलिखित किया कि कब्जा लगभग केवल 12 वर्षो का है न कि 30 वष का–प्रतिकूल कब्जा का अभिवाक घोषणा हेतु विश्वास नही किया जा सकता कि वादी सम्पत्ति का मालिक है और इसे कब्जा प्राप्ति के वाद में अधिकारों के संरक्षण के रूप में उपयोग किया जा सकता है– निर्णीत, मण्डल द्वारा पारित आदेश मे अवैधता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का बाद एडवर्स पजेशन के आधार पर स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रीछन्दा की नवीन ख0नं0 878 रकबा 0.32 है0 पर वादी गुलाब खां को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 43/2011

उनवान

1. गुलाब खां आयु 80 वर्ष पुत्र नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. रामकुंवार उर्फ रामबाबू शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बृाह्मण निवासी खेडलीगंज हाल मुकाम म0नं0 904 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 183 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रीछन्दा की नवीन ख0नं0 878 रकबा 0.32 है0 पर वादी गुलाब खां को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 11:04:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: